"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 574]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2015—— पौष 2, शक 1937

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04-04/2011/23/यो.आ.सां. —जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/एफ & पी, दिनांक 8 नवम्बर, 2007, अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4/2011/23, दिनांक 5 जुलाई, 2011 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4/2011/23, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के रूप में नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी.

सारणी

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	पद (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के समस्त प्रभारी अधिकारी.	रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st December 2015

NOTIFICATION

No. F 04-04/2011/23/PE&S. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), and in addition to this Department's Notification No. 4-9/2007/23 F & P, dated 8th November, 2007, Notification No. F 4-4/2011/23, Dated 5th July, 2011 and Notification No. F 4-4/2011/23, Dated 16th September, 2014, the State Government, hereby, appoints the following officer as specified in column (2) of the Table below as Registrar (Births and Deaths) as specified in column (3) within the jurisdiction specified in column (4) of the said table in order to strengthen the Civil Registration System. This appointment shall take effect from the date issuance of this Notification.

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4)
1.	Orricer in-charge of all All India Institute of Medical Sciences, Raipur.	Registrar (Births and Deaths)	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and Still Births.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK AWASTHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.